मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त, 2017

क्रमांक 2442//2117/2017/18-5- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974का.स.6) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) म.प्र. नियम 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म.प्र.) नियम 1975 के नियम 26 में प्रावधान था :

1	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ
2	सदस्य सचिव	रूपये 5.00 लाख तक
3	प्रशासन शाखा के प्रभारी	रूपये 1.00 लाख तक

परन्तु अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति की दशा में चैक पर हस्ताक्षर करने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन सदस्य सचिव को करेगा । सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी जो अधीक्षण यंत्री या उससे निम्नतर न होगा, को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।''

संशोधन

उक्त के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

''किसी भी बैंक में खाता खोलने/ चैक पर हस्ताक्षर करने/ ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ ऑन लाईन आरटीजीएस (RTGS)/ कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु शक्तियाँ :

1 निम्नलिखित प्राधिकारी उनके सामने उल्लेखित सीमा हेतु अधिकृत होंगे :-

कम	प्राधिकृत अधिकारी	अधिकतम सीमा
1	अध्यक्ष,	पूर्ण शक्तियाँ
2	सदस्य सचिव	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ । अन्य व्यय हेतु रूपये 10 लाख तक (रूपये दस लाख तक)
3	डायरेक्टर (पर्यावरण)/ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी	रूपये 5 लाख तक (रूपये पांच लाख तक)
4	क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख	वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ । अन्य व्यय हेतु रूपये 5 लाख तक (रूपये पांच लाख तक)

Uploaded on website
04/08

2 चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ऑन लाईन आरटीजीएस (RTGS)/ कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यो के निष्पादन संबंधी अपनी शक्तियाँ अध्यक्ष,सदस्य सचिव अथवा अन्य बोर्ड के अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकेंगे।''

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा) 04/08
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,

पृ. कमांक 2453 /2117/2017/18-5 भोपाल,दिनांक 4 अगस्त,2017

प्रतिलिपिः-

1/ नियंत्रक,शा0केन्द्रीय मुद्रणालय,मैदा मिल रोड,भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

2/ अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

3/ सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,

A.D

समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्रीवास्तव